फर्द अहकाम
(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा (जिला दौसा)

बुद्धकिशोर बनाम बिरदू वगै.
किस्म मुकदमा : दावा
मुकदमा नम्बर : 25/2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
04.05.2026	पत्रावली पेश हुयी। वकील उभयपक्ष उपस्थित। प्रकरण में वास्ते आदेश आज की तिथि नियत है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम जिरोता खुर्द तहसील दौसा में प्रश्नगत आराजी खसरा नम्बर 178, 179, 180 स्थित है। जिसमें वादी व प्रतिवादीगण के पिता नन्दा पुत्र मांगीलाल कोली हिस्सा 1/4 के खातेदार रहे हैं। नन्दा के पांच पुत्र हुए – बिरदू, चौथू, बसन्तीलाल, बुद्धकिशोर, मोहनलाल। इसमें से चौथू भी फौत हो गया। चौथू के एक पुत्र विजेन्द्र व चौथू की पत्नी नानगी है। खातेदार नन्दा की पत्नी भी नानगी है, जो फौत हो चुकी है। नन्दा की फौतगी पर उक्त भूमि नन्दा के चार पुत्रों प्रतिवादीगण के नाम गलत रूप से दर्ज कर दी जबकि वादी भी नन्दा का पुत्र व वारिस होने के बावजूद भी उक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम दर्ज नहीं किया गया। उक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादीगण की जाति भी बैरवा दर्ज कर दी गयी जबकि सही जाति कोली है। प्रतिवादीगण ने वादी से दिनांक 06.06.2023 को ऐलानिया कहा कि तुम्हारे हक व हिस्से की उक्त भूमि हमारे नाम दर्ज है। अब हम उक्त भूमि का अन्यत्र बेचान करेंगे व तुम्हे तुम्हारे कब्जे से बेदखल करेंगे। अतः डिक्री दुरुस्ती इन्द्राज, उद्घोषणा बहक वादी इस अमर की सादिर फरमायी जावे कि प्रश्नगत आराजी में दर्ज नानगी पत्नी नन्दा व प्रतिवादीगण के नाम दर्ज भूमि के स्थान पर वादी को हिस्सा 1/5 का खातेदार तथा प्रतिवाद संख्या 1, 2, 3 प्रत्येक को 1/5 – 1/5 हिस्से का खातेदार व प्रतिवादी संख्या 4, 5 को हिस्सा 1/5 का खातेदार घोषित फरमाया जावे व उक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड से नानगी पत्नी नन्दा का नाम हज्फ फरमाया जावे एवं उक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादीगण के नाम के आगे दर्ज जाति बैरवा के स्थान पर दुरुस्ती करके जाति कोली दर्ज करने के आदेश फरमाये जावे। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 ने इकबाली जवाब पेश कर वादी द्वारा वांछित अनुतोष प्रदान करने में अपनी सहमति व्यक्त की।	उपखण्ड अधिकारी दौसा (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

प्रकरण में बहस उभयपक्ष सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं बहस पर मनन किया गया। वादीगण का अपने वादपत्र के जरिये कथन है कि ग्राम जिरोता खुर्द तहसील दौसा स्थित प्रश्नगत आराजी खसरा नम्बर 178, 179, 180 में वादी व प्रतिवादीगण के पिता नन्दा पुत्र मांगीलाल कोली हिस्सा 1/4 के खातेदार थे, इनके फौत होने पर उक्त भूमि नन्दा के चार पुत्रों प्रतिवादीगण के नाम गलत रूप से दर्ज कर दी जबकि वादी भी नन्दा का पुत्र व वारिस होने के बावजूद भी उक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम दर्ज नहीं किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी आधार संवत 2070–2073 (वर्ष 2019 से स्थायी) अनुसार ग्राम जिरोता खुर्द तहसील दौसा स्थित प्रश्नगत आराजी खसरा नम्बर 178, 179, 180 के राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 व नानगी पत्नी नन्दा जाति कोली क्रमशः हिस्सा 1/20, 1/20, 1/20, 1/40, 1/20, 1/40 के खातेदार होना प्रमाणित होते हैं। इस प्रकार उक्त समस्त खातेदारों का प्रश्नगत आराजी में संयुक्त रूप से कुल हिस्सा 1/4 होना पाया जाता है। वादी का कथन है कि प्रश्नगत आराजी खसरा नम्बर 178, 179, 180 में वादी व प्रतिवादीगण के पिता नन्दा पुत्र मांगीलाल जाति कोली हिस्सा 1/4 के खातेदार थे, जिनके फौत होने पर उक्त भूमि नन्दा के चार पुत्रों प्रतिवादीगण के नाम गलत रूप से दर्ज कर दी गयी जबकि वादी भी नन्दा का पुत्र व वारिस होने के बावजूद उक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम दर्ज नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त नन्दा की पत्नी नानगी फौत हो चुकी है। उक्त तथ्यों को प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 ने अपने जवाब में स्वीकार किया है। वादी ने अपने वादपत्र के समर्थन में शपथ–पत्र भी पृथक से पेश किया है। ऐसी स्थिति में यह तथ्य स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत होता है कि वादपत्र में अंकित सजरा अनुसार नन्दा पुत्र मांगीलाल जाति कोली के वारिसान बिरदू (पुत्र), चौथू (पुत्र), बसन्तीलाल (पुत्र), बुद्धकिशोर (पुत्र), मोहनलाल (पुत्र), नानगी (पत्नी) हैं। उक्त वारिसान में से नानगी पत्नी नन्दा फौत हो चुकी है। चौथू भी फौत हो चुका है एवं चौथू के वारिसान विजेन्द्र (पुत्र) व नानगी (पत्नी) हैं। इस प्रकार नन्दा पुत्र मांगीलाल के जीवित वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 के रूप में प्रकरण में सृजित हैं। किन्तु प्रश्नगत आराजी के राजस्व रिकॉर्ड में वादी कहीं भी खातेदार के रूप में दर्ज नहीं है। इससे प्रतीत होता है कि नन्दा पुत्र मांगीलाल जाति कोली की विरासत में वादी को शामिल नहीं किया जाकर शेष वारिसान के नाम प्रश्नगत आराजी की खातेदारी दर्ज कर दी गयी। जो कि अनुचित प्रतीत होता है। वादी भी नन्दा पुत्र मांगीलाल जाति कोली का वारिस होने के नाते नन्दा की आराजी में अपना हक रखता है। ऐसी स्थिति में वादी द्वारा प्रस्तुत

उपखण्ड अधिकारी
दौसा (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

वादपत्र स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत होता है। अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र बाबत दुरुस्ती इन्द्राज व उद्घोषणा स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम जिरोता खुर्द तहसील दौसा स्थित प्रश्नगत आराजी खसरा नम्बर 178, 179, 180 के राजस्व रिकॉर्ड से नानगी पत्नी नन्दा जाति कोली का नाम विलोपित किया जाता है तथा वादी को हिस्सा 1/20 का खातेदार घोषित किया जाता है। इसके साथ ही वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 का हिस्सा क्रमशः 1/20, 1/20, 1/20, 1/20, 1/40, 1/40 दर्ज किये जाने एवं इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते हैं।

निर्णयानुसार पर्चा डिक्री जारी। पालनार्थ तहसीलदार दौसा को तहरीर जारी हो। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करेंगे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
दौसा (राज०)